न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

निर्णय दिनांकः–21.07.2025

अपील संख्याः 17 / 2015
(जीसीएमएस संख्या 2015 / 00111)

1. भंवरलाल पुत्र भीखाराम जाति ब्राह्मण निवासी गॉव कोलासर तहसील व जिला बीकानेर।
2. अर्जुनराम पुत्र भीखाराम जाति ब्राह्मण निवासी गॉव कोलासर तहसील व जिला बीकानेर।
3. सुखदेव पुत्र भीखाराम जाति ब्राह्मण निवासी गॉव कोलासर तहसील व जिला बीकानेर।
4. दुर्गालाल पुत्र भीखाराम जाति ब्राह्मण निवासी गॉव कोलासर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. श्रीकिशन पुत्र मुकनाराम जाति ब्राह्मण निवासी गॉव कोलासर तहसील व जिला बीकानेर।
2. जयदयाल पुत्र किस्तुरचन्द जाति ब्राह्मण निवासी गॉव कोलासर तहसील व जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 15–12–2014
सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक, बीकानेर

उपस्थितः–
1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक कलेक्टर, फास्ट ट्रेक, बीकानेर के आदेश दिनांक 15–12–2014 जिसके द्वारा अपीलांट्स का रिसीवरकायम करने का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अनुउपस्थित। अभिभाषक अपीलांट की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कोलासर की रोही में खसरा नम्बर 138 में 0.55 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 139 में 0.38 हैक्टेयर भूमि के अपीलांट खातेदार एवं काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलांट की उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट द्वारा नाजायज रूप से काबिज होने की धमकी अपीलांट को देने पर अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र धारा 212 का प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पोडेन्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया गया। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रभावशाली रहते रेस्पोडेन्ट ने अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेशो को Flout किया है। रेस्पोडेन्ट के उक्त कृत्य के कारण अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष रिसीवरी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि वादग्रस्त आराजी पर दौराने अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश अतिक्रमण कर मकान व बाड़ा बना लिया है। इस प्रकार न्यायालय आदेश का रेस्पोडेन्ट द्वारा Flout किया है। वादग्रस्त भूमि एक कृषि भूमि है जिसका अप्रार्थीगण से कोई संबंध नही है। रेस्पोडेन्ट न तो खातेदारी काश्तकार है और ना ही केता है। केवल ताकत के बल पर रेस्पोडेन्ट अपीलांट की भूमि पर काबिज हो गये है। रेस्पोडेन्ट गॉव कोलासर के निवासी है गॉव आबादी के चिपती भूमियों पर कब्जा कर बाड़ा बनाते है तथा एक दो वर्ष बाद अपना बाड़ा बता कर विक्रय कर देने है। रेस्पोडेन्ट का यह व्यवसाय हो चुका है ग्राम पंचायत व अन्य राजनैतिक प्रभावशाली लोग भी इनका सहयोग करते है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ एक प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवत नियुक्त करने की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है।

उन्होने आगे कथन करते हुए कहा कि अदालत मातहत ने स्वयं जारी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र को केवल इस आधार पर Flout नही माना कि पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट विश्वसनीय नही है तथा न्यायालय के सामने वादग्रस्त आराजी के सबंध में स्थिति स्पष्ट है लेकिन अदालत मातहत उक्त स्पष्ट स्थिति को कही भी अपने निर्णय में अंकित नही किया है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को एकतरफा भी माना है लेकिन पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट तब तक सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही कर दी जाती है जिसके संबंध में कोई निर्णय यह कह कर कि एकतरफा है नही किया जा सकता है। कानून का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब अदालत के आदेश की अवहेलना हो तथा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को Flout किया जाता है तो एकमात्र उपाय उस भूमि को जरिये रिसीवरी कर सुरक्षा दी जानी आवश्यक है।

प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत वादपत्र केतहत कार्यवाही होनी अभी शेष है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य के निर्धारण से पूर्व यदि वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द किया जाता है अथवा मौके व राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करते हुए अपीलांट्स को मौके से बेदखल किया जाता है तो वादपत्र का मकसद ही समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त भूमि के बाबत् तहसीलदार, बीकानेर कोरिसिवर नियुक्त करने के आदेश प्रदान किये जावे। अपने समर्थन में अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1974 पेज संख्या 446 पेश किया।

4. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04–09–2012 को ग्राम कोलासर के खसरा नं. 138 में 0.55 हैक्टेयर व खसरा नं. 139 में 0.38 हैक्टेयर भूमि के मौका

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखने के आदेश दिये गये थे। दिनांक 15–07–2014 तक अस्थाई निषेधाज्ञा आगे बढाने के आदेश दिये जाने से स्थगन आदेश प्रभाव में था। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि दिनांक 30–07–2014 को पटवारी द्वारा फर्द मौका तैयार किया गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। फर्द मौका में गत 1 वर्ष के दौरान मौके की स्थिति में परिवर्तन संबंधी उल्लेख है।

इस स्थिति में जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उपलब्ध थे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तार्किक रूप से यह विनिश्चय किया जाना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 04–09–2012 जो कि दिनांक 15–07–2014 तक लगातार प्रभावी था, का उल्लंघन किया गया है अथवा नही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिसीवरी के बिन्दु पर सकारण व तार्किक विवेचना किये बिना अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। जो कि पुष्टि योग्य आदेश नही है।

5. अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में साक्ष्यो के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

6. निर्णय आज दिनांक 21.07.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर